पत्रांक: BRLPS/ LSBA-ACCT/53-17/ 815 दिनांक: 27.3.18

प्रेषक,

बालामुरूगन डी., भा०प्र० से०,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

बिहार।

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" कार्यक्रम हेतु आकस्मिक निधि की उपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत हैं कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में दिनांक 02.04.2018 से दिनांक 10.04.2018 तक "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अन्य राज्यों सहित लगभग 20,000 स्वच्छाग्रहियों की प्रतिभागिता होगी।

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 360843 दिनांक 19.03.2018 के द्वारा जिला स्तर पर **"सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह"** कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले कार्य की विवरणी संसूचित की गयी है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक BRLPS/LSBA/Accts/53/17/473 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा सामान्य रूप से जिला स्तर पर ₹ 50,000/- एवं प्रखण्ड स्तर पर ₹ 10,000/- की सीमा तक आकस्मिक निधि में एकल निकासी की स्वीकृति संसूचित की गयी थी।

"सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" कार्यक्रम के लिए विशेष व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) तक की सीमा तक आकस्मिक निधि में निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। सभी जिले द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए होने वाले व्यय का

27/03/18

आकलन कर आकस्मिक निधि में अधिकतम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) तक की निकासी की जा सकती है। कार्यक्रम समाप्ति के 15 दिन के अन्दर इस विशेष आकस्मिक निधि में की गयी निकासी के विरूद्ध वास्तविक व्यय के लिए सत्यापित व्यय विवरणी, विपत्रों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस राशि का समायोजन किया जायेगा तथा अव्यवहरित राशि RTGS के माध्यम से निम्नांकित बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी :

1. खाता धारक का नाम : BRLPS/LSBA –SWACCH BHARAT MISSION (G)
2. बैंक का नाम : ICICI बैंक, एक्जीविशन रोड शाखा, पटना
3. खाता संख्या : 625901143298
4. आई. एफ. सी. कोड : ICIC 0006259

वास्तविक व्यय की राशि का लेखांकन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत IEC मद से किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

27/03/18

(बालामुरूगन डी.)

प्रतिलिपि :

1. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को अनुमोदनार्थ प्रेषित।